कार्यालय, विकास आयुक्त (सूक्ष्म ,लघु एवं मध्यम उद्यम)

सू म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय,
(भारत सरकार),
निर्माण भवन, सातवीं मंजिल, मौलाना आजाद रोड,
नई दिल्ली-११००११

Micro, Small and Medium Enterprises
सूक्ष्म ,लघु एवं मध्यम उद्यम

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
(MICRO, SMALL, & MEDIUM ENTRERPRISES)

MINISTRY OF MICRO, SMALL, & MEDIUM ENTRERPRISES
Government of India
Nirman Bhawan, 7th Floor, Maulana Azad Road,
New Delhi-110011

Ph. EPABX-23022220, 23022211,23022212, 23022202 FAX: - (91-11)-23062315,23061726, 23061068, e-mail:- dc-msme@nic.in,,dcmsme@dcmsme.gov.in

16(20)(1))/2009-एमएसएमई नीति

सेवा में, दिनांक 05.11.2009

विकास आयुक्त (उद्योग),
उद्योग निदेशालय, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग,
अपोजिट मंत्रालय, मुम्बई -400032.

विषयः एम एस एम ई डी अधिनियम 2006 के अर्न्तगत ई०एम० फाईल करने के संबंध में ।

महोदय,

बाम्बे स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज एसोशिएसन, मुम्बई ने इस कार्यालय को अभ्यावेदन भेजा है कि महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्डे (MSEB) के द्वारा उनके एक सदस्य उद्यम पर 'उद्योग' के स्थान पर 'उद्यम' शब्द (जैसा कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में प्रदत्त किया गया है) के प्रयोग करने के कारण, इस आधार पर अर्थ दण्ड लगाया है कि विद्युत कनैक्शन 'उद्योग' के लिए था न कि ' उद्यम' के लिए ।

2. सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में विनिर्माण क्षेत्र के साथ-साथ सेवा क्षेत्र में लगे प्रतिष्ठानों के लिए 'उद्यम' शब्द का प्रयोग किया गया हैं । इसलिए, वर्तमान शब्दावली "विनिर्माणकारी उद्यम" (Manufacturing Enterprise) को उद्योग अथवा औद्योगिक उपक्रम शब्द, जो कि पहले लघु उद्योग की परिभाषा में प्रयोग किया जाता था, के समतुल्य माना जाना चाहिए। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006में सेवा क्षेत्र में लगे प्रतिष्ठानों को 'सेवा उद्यम' के रूप में निरूपित किया गया हैं।

3. उपरोक्त के परिपेक्ष्य में, निवेदन किया जाता है कि इस तथ्य को महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्डे (MSEB) एवं राज्य सरकार के अन्य सभी विभागों/उपक्रमों के संज्ञान में, राज्य स्तर के साथ-साथ जिला स्तर पर, लाया जाए ताकि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को भविष्य में होने वाली इस प्रकार की कठिनाईयों से बचाया जा सके तथा राज्य सरकार के सभी विभागों के साथ-साथ वित्त संस्थानों द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के संवंधनएवं विकास के लिए सभी प्रमाणिक(bonafide) सहायता प्रदान की जाए।

भवदीय,

(पी०के० सिनहा)
उप निदेशक (एमएसएमई नीति)

प्रतिलिपि :

1. प्रधान सचिव/सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मामलों के प्रभारी, सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र -सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र द्वारा समान कायावाही करने के अनुरोध के साथ ।
2. अध्यक्ष, नाबार्ड, मुम्बई ;
3. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सिडबी, लखनऊ ;
4. अध्यक्ष, भारतीय बैंक संघ, मुम्बई ;

पृष्ट 2 पर जारी

::2::

5. उप गर्वनर, भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई ;

6. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, वाणिज्य बैंक एवं वित्तीय संस्थान, राज्य वित्तीय निगम सहित-डाक सूचि अनुसार;

7. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनएसआईसी, नई दिल्ली ;

8. आयुक्त/निदेशक (उद्योग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मामलों के प्रभारी, सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र ;

9. निदेशक/उपनिदेशक प्रभारी, एमएसएमई डी आई/ शाखा एमएसएमई डी आई, सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र;

10. अध्यक्ष, एमएसएमई एसोसिएशनस्, डाक सूचि अनुसार;

11. अध्यक्ष, आई सी ए आई, पो० ब० न० 7100, आई सी ए आई भवन, आई पी इस्सटेट, नई दिल्ली - 110104

12. बाम्बे स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज एसोशिएसन, मार्फत मै० भारत ट्रेडर, बी-20, गिर्राज औद्योगिक इस्टेट, महाकाली कव्यज मार्ग, अन्धेरी ईस्ट, मुम्बई--- सूचनार्थ ।

(पी०के० सिनहा)